

## लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना से विधवाओं को मिलेगी 3600 रुपए सालाना पेंशन चर्चा में क्यों?

30 अक्टूबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिश में 'लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

## प्रमुख बदु

- 'लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना' का मुख्य उद्देश्य पति की मौत के बाद परिवार चलाने में आने वाली आर्थिक समस्या को दूर करना है। इसके तहत विधवा महिलाओं को हर माह 300 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है।
- बिहार सरकार की इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा महिलाएँ ले सकती हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिये सालाना आय 60 हज़ार से कम होनी चाहिये तथा आवेदक के पास BPL कार्ड हो और उसे किसी भी प्रकार की पेंशन न मिल रही हो। इसके लिये आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र बिहार का हो और नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आवेदक का खाता होना अनिवार्य है।
- इस योजना के लिये आवेदक को प्रखंड कार्यालय के लोक सेवा अधिकार काउंटर पर ऑफलाइन आवेदन करना होगा तथा वहाँ से फॉर्म प्राप्त कर ऑफिस में डाक्यूमेंट्स को संलग्न करके जमा करना होगा। फॉर्म के सत्यापन के बाद महिला को आगे की प्रक्रिया और पेंशन की जानकारी दी जाएगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/laxmibai-social-security-scheme